राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1866/2008/बांसवाडा
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट द्वितीय, वृत–बांसवाडा अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटैड
द्वारा रिलोस्टिक्स इण्डिया प्रा.लि.,बांसवाडा प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित
श्री विवेक सिंघल
उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 14.12.2015

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, वृत–बांसवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त(अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 118/वैट/जी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, वृत–बांसवाडा के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनिय, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू.13,41,015/– को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 17.09.2007 को वाणिज्यिक कर जांच चौकी मोनाडूँगर पर वाहन संख्या आरजे–27/जीए–9555 को रोक कर चेक किया। वक्त चेंकिंग वाहन में लदे पॉलिस्टर स्टेपल फाईबर (पीएसएफ) की 40 गांठों के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी श्री अम्बे सिह पुत्र श्री नवल सिंह,निवासी केलवाडा ने मैसर्स लोिजिस्टिक्स (इण्डिया) प्रा.लि. नवी मुम्बई का कन्साइनमेन्ट नोट संख्या एसी 11/60 दिनांक 16,.9,2007 हजीरा से बांसवाडा, मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज का इनवॉयस क्रमांक 0716988 दिनांक 16.09.2007 जिस पर स्टॉक ट्रांसफर अंकित है, आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये। उक्त दस्तोवजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि माल स्टॉक ट्रांसफर के अनुक्रम में परिवहनित किया जा रहा है,जिसके साथ वैट–47 होना आवश्यक है,किन्तु उसके न होने के कारण अधिनियम की धारा 76 (2) (बी) का उल्लंघन किये जाने के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को अमान्य कर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 3,41,015/–आरोपित कर आदेश दिनांक 20.09.2007 पारित किया। उक्त आदेश से

असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2008 पारित किया है,जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 17.09.2007 को वाहन की जांच पर वाहन में लदे माल के साथ वक्त चेकिंग परिवहनित माल के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 नहीं होने से अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कारण बताओ नोटिस जारी करने पर, जवाब के साथ वैट–47 नम्बर 1547598 प्रस्तुत किया गया, जो बाद की सोच मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने कर चोरी की मंशा से माल का परिवहन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 76(2) (बी) का उल्लंघन तथा कर चोरी की दोषी मानसिकता मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 3,41,015/–आरोपित की है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग पाया गया माल राज्य के बाहर से बिना विधिक घोषणा पत्र वैट–47 के परिवहन किया जाना अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध है, जिसके माल के साथ विधिक घोषणा पत्र वैट–47 नही होने के कारण आरोपित शास्ति उचित है किन्तु अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाये। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय स्तर पर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध के विपरीत होने के कारण अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी रांज्य का पंजीकृत व्यवसाई है,जिसका मुख्यालय जयपुर में है तथा राज्य में विभिन्न स्थानों में शाखायें हैं एवं कम्पनी का उत्पादन कार्य गुजरात व महाराष्ट्र में किया जाता है। उन्होंने बताया कि परिवहनितमाल की स्टॉक ट्रांसफर के रूप में सूरत, गुजरात से बांसवाडा, राजस्थान स्थिति शाखा हेतु ट्रांसफर किया जा रहा था व स्टॉक ट्रांसफर इनवाइस संख्या 216988 के साथ भेजे जा रहे थे। उनका कथन है कि भेजे जा रहे माल की पूर्ण सूची संलग्न थी व इनवाईस में प्रेषक/प्रेषिति व माल से सम्बन्धित पूर्ण विगत अंकित थी तथा एक्साईज डयूटी भी वसूल की हुई थी। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा

गुजरात स्थित कम्पनी को माल के सथ संलग्न किये जाने हेतु वैट–47 भी भेजा गया था किन्तु माल भेजे जाते समय प्रेषक द्वारा उक्त वैट–47 संलग्न किये जाने से छूट गया,जिसको प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने पर जवाब के साथ प्रस्तुत किया है,जिसको बाद की सोच मानकर उसे अमान्य कर शास्ति आरोपित की गई है, जो उचित नहीं है।

उन्होंने उक्त कथन के साथ उन्होंने अपने कथन के समर्थन में अपीलीय अधिकारी के स्तर पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट–2 पेज 49 एवं मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, बांसवाडा एवं अन्य 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित निर्णयों को आधार बनाते हुए अभिवाक् किया कि उक्त दोनों निर्णयों में राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी पी मेटल्स के प्रकरण में जो सिद्धान्त अवधारित किया है कि वह इस प्रकरण में भी पूर्णतः लागू होते हैं। हस्तगत अपील उक्त निर्णय से आच्छादित होने के कारण प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान बताये गये न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 17.09.2007 को वाहन संख्या आरजे–27–जीए–9555 को चेक किये जाने पर उसमें लदे माल पॉलिस्टर स्टेपल फाईकर पाया गया,जो स्टॉक ट्रांसफर के अनुक्रम में परिवहनित किया जा रहा था। उक्त माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ वैट–47नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) का उल्लंघन मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में वक्त चेकिंग माल के साथ वैट–47 नहीं होने के कारणों को उजागर करते हुए घोषणा पत्र वैट–47 नम्बर 1547598 प्रस्तुत किया,जिसको बाद की सोच मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 3,41,015/–आरोपित की है,जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट–47 नम्बर 1547598 प्रस्तुत किया गया है,जो पत्रावली पर उपलब्ध है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा मैसर्स डी.पी.मेटल्स में प्रातिपादित सिद्धान्त के अनुसार शास्ति आरोणीय नहीं है।

उक्त सन्दर्भ में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उद्धृत निर्णयों पर विचार किया जाना समीचीन होगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पार्ट–2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :–

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case if is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

उपरोक्त सन्दर्भ में मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता बांसवाडा 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".............On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति उचित नहीं है।

अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने राज्य सरकार के निर्देश, न्यायिक दृष्टान्तों तथा प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जिसमें किसी हस्तक्षेप का औचित्य यह पीठ अनुभव नहीं करती है। फलस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य